

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक : जिशिचि/प्राशि/का.अ./आरटीई/2013/

49

दिनांक : 14-4-13

श्री प्रधानाध्यापक / व्यवस्थापक

६ आदित्य विद्या पब्लिक स्कूल

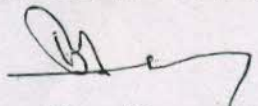
आदित्यपुरम, स्तवा

विषय : आर.टी.ई. के तहत मान्यता दिये जाने के संबंध में । ८१९-123

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विद्यालय को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन मान्यता दिनांक 31.3.2013 तक स्वघोषणा पत्र के आधार पर प्रारूप -2 में मान्यता 31.3.2013 तक इस आशय के साथ प्रदान की गई थी कि 31.3.2013 से पूर्व आर.टी.ई. मापदण्ड के अनुसार विद्यालय में पूर्ति कर दी जावे ।

आशा है आप द्वारा जिन 18 बिन्दुओं के अध्याधीन मान्यता प्रदान की गई थी उनकी पूर्ति आप द्वारा कर ली गई होगी तथा आर.टी.ई. के अधिनियम धारा 19 और धारा 25 में दिये गये विद्यालय के मान और मानक के अनुसार पूर्ति कर दी गई होगी पालना इस कार्यालय को भिजावे ताकि आपके विद्यालय की मान्यता वृद्धि पर विचार किया जा सकें ।
इस हेतु निम्न प्रलेख अनुपालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें । -

1. 18 बिन्दु की अनुपालना रिपोर्ट ।
2. सभी प्रशिक्षित अध्यापकों का संस्थापन विवरण । (अप्रशिक्षित एक भी अध्यापक न हो)
3. प्रत्येक कक्षा के लिये एक कमरा, एक प्रधानाध्यापक कक्ष, एक रसोई, बाधा मुक्त पहुँच, लडके, लडकियों के लिये पृथक पृथक शौचालय, सभी बालकों के लिये सुरक्षित और पर्याप्त पेय, पर्याप्त खेल का मैदान, सीमा या बाड़े द्वारा विद्यालय की सुरक्षा ।
4. विद्यालय में पर्याप्त उपस्कर तथा पुस्तकालय, खेल सामग्री तथा खेल उपस्कर की सूची ।
5. अध्यापकों का मानदण्ड 60 छात्रों तक 2 अध्यापक तथा 30 अतिरिक्त छात्रों पर एक और अतिरिक्त अध्यापक ।
6. आरटीई के तहत कमजोर एवं निःशक्त बालकों के लिये एन्ट्री क्लास में 25 प्रतिशत बालकों को अनिवार्यतः प्रवेश देने संबंधी घोषणा ।
7. किसी भी छात्र को बिना भेदभाव से अध्ययन करवाना ।
8. धारा-13 के तहत किसी भी छात्र को प्रवेश देते समय विकास शुल्क नहीं लेना तथा कोई प्रवेश परीक्षा नहीं ली जायेगी । यदि कोई विद्यालय इसका उल्लंघन करेगा तो 25000/- रुपये जुर्माना वसूल किया जावेगा ।


जिला शिक्षा अधिकारी,
प्रार. शिक्षा, चित्तौड़गढ़